


है। करवस्त बखस वकील वादी ने अपने वापस में अंकित तथ्यों को देखा है हुए मुहाबिले अनुतोष दावा डिक्ली फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट का अपलोडन किया एवं बखस वकील वादी पर तगोर मनन किया गया। धुंछि वादी के समस्त दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, अंकतालिका, आधार कार्ड में वादी का सही नाम सुनील कुमार पुत्र सालगा ही दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत डीकरिया ने श्री उक्त दुरुस्ती हेतु अभिशंखा की है एवं वकील वादी की ओर से पुस्तक शपथ पत्रों में भी वादी के समर्पन में दुरुस्त करने हेतु शपथ पत्र पेश किया है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के झल्ले में वाद, वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि -

आदेश

तन ग्राम डीकरिया पठ हठ डीकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि श्रमि ख. नं. 263, 264, 267 ता 280, 537, 534, 282, 265, 266 के राजस्व रिपोर्ट में वादी का बोलता नाम "बाबुलाल पुत्र सालगा" के स्थान पर वादी का वास्तविक व सही नाम "सुनील कुमार पुत्र सालगा" दुरुस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 2 का रख वादी के हिस्से पर यथावत शखा जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल दरासद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्याप्त डिक्ली जारी हो।




सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला


हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

नम्बर से कम हो तथा बाद तत्काल दायित्व
दफ्तर हो। यह निष्पत्ति आज दिनांक 03-12-2020
को मेरे द्वारा दस्तावेजित कर न्यायालयी मुद्दा
सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजेश कुमार)

 RAS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला